न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 156 / 20124 तारीख रजू :–06.08.2012

पीठासीन अधिकारी – अनूपसिंह
R.A.S.

भगवत वगैराह बनाम हरीचरण वगैराह

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थितः–1.श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण
2.श्री अशोक नीमनका एडवोकेट अप्रार्थी / वादीगण

निर्णय

दिंनाक :– 13.09.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण ने दिनांक 02.09.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा म्बर 2817 रकबा 0.22 है0, 2828 रकबा 0.26 है0, 2836 रकबा 0.20 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.68 है0 स्थित ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ को भूमि के साबिक खातेदारान धर्मसिंह आदि से प्रतिवादीगण` दिनांक 18.09.1996 को विल एवज 50000 / –रूपया में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि भूमि खसरा नम्बर 2828 रकबा 0.26 है0 के 1 / 2 भाग को प्रतिवादीगण ने दिनांक 28.08.1998 को विल एवज 22000 / –रूपया में श्रीलाल पुत्र कुन्दन जाटव को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर उसका कब्जा कराया है कि जिसके 1 / 2 भाग पर अब श्रीलाल जाटव काबिज काश्त है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि वादीगण ने विवादित भूमि को मुकदमा उनवानी भगवत बनाम रामजीलाल मुकदमा नं0 73 / 1996 के जरिये नामान्तकरण संख्या 637 तारीखी 22.02.2000 से प्राप्त होना बयान किया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि वादीगण के हक में दर्ज नामान्तकरण संख्या 673 तारीखी 22.02.2000 की श्रीलाल पुत्र कुन्दन जाटव द्वारा श्रीमान् न्यायालय में अपील संख्या [illegible] 2000 उनवानी श्रीलाल बनाम भगवत आदि प्रस्तुत की गई जो दिनांक [illegible]8.2002 को निर्णित– स्वीकार होकर नामान्तकरण संख्या 637 तारीखी [illegible]2.2000 निरस्त फरमा दिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.12.17 14:34:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज [illegible] है कि श्रीमान् न्यायाल[य] द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 28.08.2002 के विरूद्ध भगवत आदि ने न्यायाल[य]

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील संख्या 4133/2007 प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है। जिसमें आगामी तारीख पेशी 08.09.2021 नियत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि नामान्तकरण संख्या 637 के निरस्त हो जाने से वादीगण विवादित भूमि के रिकोर्डेड खातेदार नहीं रहे हैं, परन्तु राजस्व कर्मचारियों की भूल व वादीगण द्वारा की गई साजिशी से खातेदारी के कॉलम से वादीगण का नाम डिलीट नहीं होने के कारण वादीगण ने कतई गलत व बनावटी तथ्यों के आधार पर प्रकरण संस्थित कराया है, जो काबिल निरस्तनीय है एवं वादीगण दाण्डिक कार्यवाही के भागी हैं।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित भूमि से सम्बन्धित मामला न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन होने व प्रकरण वार्ड बाई लॉ होने के कारण दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थीगण/वादीगण ने अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का जबाव प्रस्तुत करने से मना कर दिया। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र पर वादीगण एवं प्रतिवार्दीगण के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपिठत धारा 151 सीपीसी के तहत रिजेक्ट कर खारिज फरमाया जावे।

इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण/वादीगण ने अवगत कराया है कि वर्तमान में वादीगण विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है इसलिए प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत फोटो प्रति न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन मुकदमा उनवानी सरकार बनाम भगवत वगैराह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2000 में अंकित किया है कि प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पार्टी नं0 1 व पार्टी नं02 को अन्तर्गत धारा 145 जा0फौ0 नोटिस जारी किये गये और कब्जा काश्त के बाबत् स्टेटमेंट ऑफ क्लेम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। पार्टी नं01 व पार्टी नं02 की ओर से जरिये बकालतन अपने अपने रिटिन स्टेटमेन्ट प्रस्तुत किये। पार्टी नं01 के अभिभाषक का कथन है कि विवादित आराजी मृतक रामजीलाल वेदराम व रामखिलाडी की पुश्तैनी खातेदारी की है, जो पार्टी नं01 को मृतक मूल्या से प्राप्त हुई है। मृतक मूल्या के दौजी व भगवत पार्टी नं01 वारिस है और उनके तर्क पर काबिज हैं। परिवार के बडे सदस्य होने के कारण खातेदारी मृतक बुद्धि [illegible] बंध गई और बुद्धि के वारिसान पार्टी नं01 को हिस्सा [illegible] से पार्टी नं01 के पक्ष में डिकी पारित हो चुकी है और राजस्व रिकार्ड में अमल किया जा चुका है। मौके पर विवादित आराजी पर पार्टी नं01 काबिज है और काश्त कर रहे हैं लेकिन पार्टी नं02 अदालती आदेशों के बावजूद भी पार्टी नं01 को परेशान कर रहे हैं और डण्डे के बल पर बेदखल करना चाहते हैं और आये

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.12.17 14:34:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

दिन झगडा होता रहता है। इसलिए आराजीयात को वैस डेमेज एवं ऐलीमेट होने की आंशका है। इसलिए विवादित आराजी को कब्जेराज में लेकर रिसीवर नियुक्त करने पर बल दिया।

इसके विपरीत पार्टी नं02 के अभिभाषक का कथन है कि विवादित आराजी पर पार्टी नं02 का कब्जा है। जो लम्बे समय से चला आ रहा है और मौके पर बाजरा व चरी की फसल खडी हुई है। प्राथमिक आदेश पारित होने के दिन व ससे दो माह पूर्व भी पार्टी नं02 का बाकई कब्जा था। विवादित आराजी पार्टी नं02 हरीचरण व केशन्ती ने जरिये रजिस्टर्ड शैलडीड साबिक खातेदारान से खरीद की थी और मौके पर पार्टी नं02 ने विधिवत कब्जा प्राप्त कर लिया। खरीद के आधार पर उनके नाम नामान्तकरण तस्दीक हो गया। जिसका इल्म पार्टी नं01 को है। विवादित आराजी के बाबत् कब्जा के बारे में परिशान्ति भंग होने की कोई सम्भावना नहीं है। वादग्रस्त आराजी के टाईटल के सम्बन्ध में राजस्व मण्डल अजमेर में मुकदमा विचाराधीन है और यथास्थिति कायम रखने के आदेश पारित हो चुके हैं। ग्राम पंचायत ढिंढोरा ने विवादित आराजी पर पार्टी नं02 का कब्जा अपनी रिपोर्ट मौका में माना है। पार्टी नं01 ने पुलिस से साजकर झूंठा इस्तगासा दायर करवाया है। जब सिविल कोर्ट में वाद विचाराधीन हो तो धारा 145 जा0फौ0 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। मौके पर पार्टी नं02 का कब्जा है। ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह माना जा सके कि पार्टी नं01 का कब्जा हो और उन्होंने कार्यवाही ड्रोप कराने पर बल दिया।

विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2817,2828, 2836 पर पार्टी नं 01 काबिज है या पार्टी नं02, इससे पूर्व पार्टी नं02 के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाया गया यह तर्क महत्वपूर्ण है कि जब सक्षम सिविल न्यायालय में मामला विचाराधीन है तो धारा 145 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं चलनी चाहिए। यह बात सही है कि विवादित आराजी के बाबत् दीवानी दावा विचाराधीन है। इस न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के यॉ अपनी होने पर उन्होंने इस न्यायालय की डिक्री को यथावत रखते हुए अपील निरस्त करने के आदेश पारित किये। जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में होने पर दिनांक 26.04.2000 को विवादित आराजी के बाबत् यथावत स्थिति कायम रखने के आदेश पारित किये हैं। इस प्रकार विवादित आराजी के बाबत् राजस्व प्रकरण विचाराधीन है और माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा यथास्थिति कायम करने के अदेश पारित किये हुए है। फिर इसमें रिसीवर नियुक्त करने की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। विवादित आराजी के बाबत् सक्षम न्यायालय में मामला विचाराधीन है। ऐसी सूरत में हम विवादित आराजी को रिसीवर में लेना न्याय संगत नहीं मानते। अतः कार्यवाही मुकदमा ड्रोप की जाती है। आदेश सुनाया गया।

फोटो प्रति न्यायालय उपजिला... हिण्डौन की पत्रावली संख्या 40/2000 तारीख रुजू 19.10.200... श्रीलाल विरूद्ध भगवत वगैराह अपील अन्तर्गत धारा 75 ... अधिनियम विरूद्ध आदेश नामान्तकरण सं0 637 दिनांक 22.02.2000 ... ढिंढोरा तहसील हिण्डौन में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2002 में अंकित वि... है कि अपीलार्थी ने दिनांक 28.08.1998 को आराजी खसरा नम्बर 2828 रकबा 0.26 है0 के 1/2 भाग को

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.12.17 14:34:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

उसके साबिक खातेदार श्रीमती केसन्ती धर्मपत्नि बनैसिंह जाति जाटव निवासी ढिंढोरा से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा विल एवज 22000/—रूपया में क्रय किया है जिस पर अपीलार्थी उसी दिन से वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है। विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व कर्मचारियों ने मौके पर कब्जे की जॉच करने के बाद जरिये नामान्तकरण संख्या 542 विवादित आराजी के 1/2 भाग की खातेदारी का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी के नाम दर्ज कर दिया। संलग्न नकल नामान्तकरण संख्या 637 ग्राम ढिंढोरा जो मुताविक डिक्री इजराय दिनांक 09.12.1999 को पटवारी सर्किल द्वारा भरा गया है जिसमें खसरा नम्बर 3890 रकबा 0.54 है0, 2817 रकबा 0.22 है0, 2836 रकबा 0.20 है0, का खोला गया है जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी जॉच में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 2828 की खातेदारी श्रीलाल पुत्र कुन्दन जाति जाटव के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी होने के कारण उक्त खसरा नम्बर नामान्तकरण में अंकित नहीं किया गया है जबकि तहसीलदार हिण्डौन दिनांक 22.02.2000 को अपने निर्णय में खसरा नम्बर 2828 रकबा 0.26 है0 का नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। नामान्तकरण संख्या 542 जिसमें खसरा नम्बर 2828 रकबा 0.26 है0 भूमि का 1/2 भाग जरिये विक्रय पत्र केशन्ती पत्नि बनैसिंह जाटव से श्रीलाल पुत्र कुन्दन जाति जाटव के नाम आई है। नकल डिक्री न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन दिनांक 18.05.1999 ग्राम ढिंढोरा की आराजी खसरा नम्बर 2828 रकबा 0.26 है0 भगवत श्रीलाल पि0 दौजी के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। नामान्तकरण सं0 542 प्रभावी रहते हुए नामान्तकरण सं0 637 तहसीलदार हिण्डौन द्वारा तस्दीक नहीं करना चाहिए था क्योंकि जब पटवारी सर्किल द्वारा खसरा नम्बर 2828 का नामान्तकरण जब भरा ही नहीं गया तो तस्दीक अधिकारी ने अपने निर्णय में अंकित कैसे कर दिया यह एक जॉच का विषय है। जॉच कराया जाना अपेक्षित है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं0 637 ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन निरस्त किया जाता है। प्रकरण सर्किल ऑफिसर तहसीलदार / नायबतहसीलदार को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभय पक्षों को सुनकर विधिवत निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 28.08.2002 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

फोटो प्रति न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर अपील संख्या 09/05(धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम 1956) उनवानी भगवत वगैराह बनाम श्रीलाल अपील विरूद्ध निर्णय उपजिला कलक्टर हिण्डौन दिनांक 28.08.2002 में अंकन किया है कि यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के निर्णय दिनांक 28.08.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित नामान्तकरण सं0 637 भरते समय खसरा नम्बर 2828 का अंकन नहीं किया गया है। भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपनी जॉच में खसरा नम्बर 2828 के सम्बन्ध में नोट भी अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 2828 की खातेदारी प्रतिवादीगण के बजाय श्रीलाल पुत्र कुन्दन जाटव के नाम होने के कारण उसका नामान्तकरण दर्ज नहीं किया है। इस बाबत तहसील कर्यालय में रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.12.17 14:34:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

करें। शेष तीन खसरा नम्बरों का नामान्तकरण वास्ते स्वीकृति को प्रस्तुत करें। परन्तु तहसीलदार ने इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में काई टिप्पणी नहीं दी और न ही जॉच की आवश्यकता समझी। बिना किसी टिप्पणी व जॉच के नामान्तकरण स्वीकार कर दिया जो न्यायोचित नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 2828 रकबा 0.26 है0 से 1/2 हिस्सा श्रीमती केसन्ती धर्मपत्नि बनैसिंह से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय किया है, जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 542 से रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हुआ है। पूर्व नामान्तकरण सं0 542 प्रभावी है उसे निरस्त नहीं किया गया है। नामान्तकरण को निरस्त किये बिना नामान्तकरण संख्या 637 दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह उचित है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्टान खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.08.2002 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 24.03.2007 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

फोटो प्रति न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर निगरानी संख्या एलआर सं04133/2007 जिला करौली उनवानी भगवत वगैराह बनाम श्रीलाल के अनुसार भगवत व श्रीलाल पिसरान दौजी जाति जाटव निवासी ढिंढोरा ने माननीय संभागीय आयुक्त, भरतपुर के निर्णय दिनांक 24.03.2007 के विरूद्ध पेश की है जो वर्तमान में विचाराधीन है। जिसमें आगामी तारीख 27.10.2021 नियत है।

फोटो प्रति कार्यालय ग्राम पंचायत ढिंढोरा पंचायत समिति हिण्डौन मौका रिपोर्ट एवं निर्णय बाबत् केशन्ती पत्नि बनैसिंह हरीचरण पुत्र कारया जाति जाटव निवासी ढिंढोरा खसरा नम्बर 2817 रकबा 0.22 है0, 2828 रकबा 0.26 है0, 2836 रकबा 0.20 है0 कुल रकबा 0.68 है0 पर कब्जा मौका जारी करने में अंकित किया है कि आज दिनांक 13.07.2000 को केसन्ती पत्नि बैनसिंह हरीचरण पुत्र कारया जाति जाटव निवासी ढिंढोरा ने ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र दिया है कि धर्मसिंह रमेश पि0 रामजीलाल व रतनी बेबा रामजीलाल श्रीफल पुत्र वेदपाल व मल्ला बेबा वेदपाल, रामखिलाडी पुत्र बुद्धि से प्रार्थीगण ने दिनांक 18.09.1996 में खरीद की है, जिसका नामान्तकरण भी जारी हो चुका है इन आराजीयात का ग्राम पंचायत कोरम द्वारा कब्जा सम्बन्धी मौका देखा गया। मौके पर प्रार्थीगण ने बाजरा, ज्वार व चरी बो रखी है, इसके उत्तर में गंगाचरण, विजयसिंह, दक्षिण में चौथी/ घन्टोली, पूर्व में भगवानसिंह, प्रभूदयाल, पश्चिम में अमीर नसरू के खेत हैं। इन पडोसियों से पूछा गया। उपरोक्त खेतों में जवार, बाजरा, चरी केशन्ती पत्नि बनैसिंह , हरीरचरण पुत्र कारया जाटव ने हरेती व भगवानसिंह के ट्रेक्टर से बुबाई करवाई है। इनका कब्जा लगातार चार साल से चला आ रहा है। अतः ग्राम पंचायत इस र्णिय पर पहुँची है कि उपरोक्त आराजीयात पर प्रार्थी का लगातार कब्जा है तथा काश्त करता चला आ रहा है। मौके पर पडौसियों के बयान लिये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.12.17 14:34:13 IST
Reason: SelfAttested

उक्त मौका रिपोर्ट के साथ खेत के पडौसी गंगाचरण पुत्र परमोली जाति जाटव, भगवानसिंह पुत्र रामखिलाडी जाति जाटव, अमीर पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

मंगू जाति मुसलमान, के पर्चा बयान पेश किये हैं जिनमें उक्त विवादित आराजीयात पर केशन्ती व हरीचरण का ही कब्जा काश्त बताया है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2055 से 58 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2817 रकबा 0.22 है0, 2828 रकबा 0.26 है0, 2836 रकबा 0.20 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.68 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी हरीचरण पुत्र कारया व केसन्ती पत्नि बनैयसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 542 दिनांक 14.09.1998 द्वारा खसरा नम्बर 2828 में केशन्ती पत्नि बनैयसिंह जाटव हि01/2 के बजाय श्रीलाल पुत्र कुन्दनराम जाति जाटव हि01/2 स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067 से 70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2817 रकबा 0.22 है0, 2828 रकबा 0.26 है0, 2836 रकबा 0.20 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.68 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी हरीचरण पुत्र कारया व केसन्ती पत्नि बनैयसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 542 दिनांक 14.09.1998 बेचान से खसरा नम्बर 2828 में केशन्ती पत्नि बनैयसिंह जाटव हि01/2 के बजाय श्रीलाल पुत्र कुन्दनराम जाति जाटव हि01/2 स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 637 नि0दिं0 22.02.2000 –न्यायालय आदेश से खसरा नम्बर 2817 रकबा 0.22 है0, 2828 रकबा 0.26 है0, 2836 रकबा 0.20 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.68 है0 की भूमि वादीगण भगवत श्रीलाल पुत्र दौजी जाति जाटव सा0देह के नाम दर्ज की स्वीकृति हुई दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थीगण ने अपने पक्ष में विवादित आराजीयात के चारों तरफ के खातेदारान राजेन्द्र पुत्र घन्टोली जाति जाटव निवासी एकमूर्ति ढिंढोरा तहसील सूरौठ, प्रकाश पुत्र रामखिलाडी जाति जाटव निवासी एकमूर्ति ढिंढोरा तहसील सूरौठ, गंगाचरण पुत्र परमोली जाति जाटव निवासी तीनमूर्ति ढिंढोरा तहसील सूरौठ, अमीर पुत्र मंगू जाति मुसलमान निवासी तीनमूर्ति ढिंढोरा तहसील सूरौठ ने अपने पृथक पृथक शपथ पत्र पेश किये हैं जिसमें सभी अंकित किया है कि प्रकरण हाजा के पक्षकारान मुकदमा व भूमि खसरा नम्बर 2817 रकबा 0.22 है0, 2828 रकबा 0.26 है0, 2836 रकबा 0.20 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.68 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ को भली प्रकार से जानते हैं। इन भूमियों के दक्षिण दिशा में राजेन्द्र, पूर्व दिशा में प्रकाश, उत्तर दिशा में गंगाचरण, पश्चिम दिशा में अमीर मुसलमान के खेत हैं। भूमि खसरा नम्बर 2817, 2836 सम्पूर्ण व भूमि खसरा नम्बर 2828 के 1/2 भाग में हरीचरण व केशन्ती ने बाजरे की फसल काश्त कर रखी है। इन खेतों को हरीचरण व केशन्ती ने पूर्व के खातेदारान रामखिलाडी वगैराह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.09.1996 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है और तभी से ही इन भूमियों पर हरीचरण व केशन्ती वगैराह का ही बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इन खेतों से भगवत व श्रीलाल पि0 दौजी जाटव निवासी ढिंढोरा का कोई वास्ता या सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है और ना ही इन खेतों पर भगवत व श्रीलाल का कभी कोई कब्जा काश्त रहा है और ना ही आज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.12.17 14:34:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

वादीगण ने यह दावा विवादित आराजी खसरा नम्बर 2817 रकबा 0.22 है0, 2828 रकबा 0.26 है0, 2836 रकबा 0.20 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.68 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा के बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया है तथा वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात वादीगण को न्यायालय श्रीमान् के आदेश व डिक्री मुकदमा उनवानी भगवत बनाम रामजीलाल मुकदमा नं0 73/1993 जरिये नामान्तकरण सं0 637 दिनांक 22.02.2000 से प्राप्त हुई है। हालॉकि उक्त आदेश व डिक्री की उक्त मुकदमे में तत्कालीन प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर व राजस्व मण्डल अजमेर में अपील दायर की थी, मगर वहॉ भी श्रीमान्जी के आदेश यथावत रखे गये हैं। आराजीयात पर वादीगण जमाने बुजुर्गान से काबिज हैं मगर खातेदारी अधिकार दिनांक 22.02.2000 को प्राप्त हुए हैं।

प्रार्थीगण की ओर से नजीर आरआरटी 2021(1) पेज संख्या 260 की प्रति पेश की है जिसके अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955– धारा 188 –स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद खारिज किया– अपील खारिज की– वादी खसरा नम्बर 1425 का खातेदार काश्तकार है– विवादित आराजीयों पर वादी का कब्जा होना साबित करने हेतु साक्ष्य नहीं – बचाव साक्ष्य दर्शाती है कि प्रतिवादीगण लम्बे समय से भूमि के कब्जे में है– स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार करने हेतु वादी का कब्जा होना आवश्यक है– निर्णीत, समवर्ती निर्णयों में अवैधता नहीं है व यथावत रखा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीया खसरा नम्बर 2817 रकबा 0.22 है0, 2828 रकबा 0.26 है0, 2836 रकबा 0.20 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.68 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन वादीगण को जरिये नामान्तकरण सं0 637 दिनांक 22.02.2000 से प्राप्त हुई, किन्तु उपजिला कलक्टर हिण्डौन ने प्रत्रावली संख्या 40/2000 उनवानी श्रीलाल विरूद्ध भगवत वगैराह अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम विरूद्ध आदेश नामातकरण सं0 637 दिनांक 22.02.2000 ग्राम ढिंढोरा में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2002 के अनुसार उक्त नामान्तकरण सं0 637 दिनांक 22.02.2000 ग्राम ढिंढोरा को निरस्त करने के आदेश पारित किये गये हैं तथा अप्रार्थीगण भगवत वगैराह ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर अपील संख्या 09/05(धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम 1956) उनवानी भगवत वगैराह बनाम श्रीलाल अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के निर्णय दिनांक 28.08.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। माननीय संभागीय आयुक्त भरतपुर ने दिनांक 24.03.2007 को निर्णय में अपील अपीलान्टान खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.08.2002 यथावत रखा गया। माननीय संभागीय आयुक्त भरतपुर के निर्णय दिनांक 24.03.2007 की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या एलआर सं04133/2007 जिला करौली उनवानी भगवत वगैराह बनाम श्रीलाल पेश की है जो वर्तमान में विचाराधीन है जिसमें पेशी तारीख 27.10.2021 नियत है। इस प्रकार नामान्तकरण सं0 637 के आधार पर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है वह नामान्तकरण निरस्त हो जाने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.12.17 14:34:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

वादीगण उक्त विवादित आराजीयात के खातेदार काश्तकार नहीं रहे हैं। उक्त नामान्तकरण सं0 637 निरस्त होने पर पूर्व की स्थिति बहाल रहती है। इसलिए उक्त विवादित आराजीयात के प्रतिवादीगण ही खातेदार काश्तकार हैं तथा खसरा नम्बर 2828 के 1/2 भाग पर श्रीलाल पुत्र कुन्दनराम जाति जाटव निवासी मिल्कीपुरा ढिंढोरा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोले गये नामान्तकरण सं0 542 दिनांक 14.09.1998 के आधार पर खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात से वादीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना प्रतीत नहीं होता है। बल्कि नामान्तकरण सं0 637 दिनांक 22.02.2000 निरस्त होने के कारण प्रतिवादीगण की उक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार रहे हैं। उक्त आदेश की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। वादीगण ने उक्त नामान्तकरण सं0 637 दिनांक 22.02.2000 के निरस्त होने के तथ्य को छिपाते हुए यह दावा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का पेश किया है वह वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए पेश किया है। इसलिए उक्त विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में मामला न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन होने व प्रकरण वार्ड बाई लॉ होने के कारण वादीगण का दावा ख़िलाफ प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0 दी0 के तहत कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं होने के कारण रिजेक्ट किया जाकर खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण का मुकदमा नं0 156/2012 उनवानी भगवत वगैराह बनाम हरीचरण वगैराह दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा को अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0 दी0 के प्रावधानों के तहत रिजेक्ट किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 13.09.2021को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.12.17 14:34:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner